कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, बिहार में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को सम्मिलित करता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में सिर्फ 2.60 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों एवं 20 प्रतिशत शहरी परिवारों को ही नल जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध थी। पेयजल के लिए राज्य मुख्यतः भूजल पर निर्भर था। कुल मिलाकर, राज्य के 38 में से 28 जिले विभिन्न प्रदूषकों (आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं लौह) की उपस्थिति के कारण खराब पानी की गुणवत्ता की समस्या से ग्रस्त थे।

बिहार सरकार ने दिसंबर 2015 में हर घर नल का जल योजना प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार को पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल पाइपयुक्त जलापूर्ति के माध्यम से उपलब्ध कराना, जलजनित रोगों में कमी लाना तथा वर्ष 2020 तक पेयजल हेतु हैंडपंपों पर निर्भरता समाप्त करना था।

हर घर नल का जल योजना का राज्य में क्रियान्वयन तीन विभागों, अर्थात् पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से किया गया। इस योजना के लिए वित्तपोषण राज्य के अपने बजट, केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोगों से प्राप्त अनुदानों तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों से किया गया। 2017–18 से 2022–23 की अवधि के दौरान, पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग ने योजना के क्रियान्वयन हेतु अपनी कार्यान्वयन इकाइयों को कुल ₹30,500.92 करोड़ आवंटित किए गए।

वर्ष 2017–18 से 2022–23 के अवधि के लिए, राज्य के 12 चयनित जिलों में हर घर नल का जल योजना का निष्पादन लेखापरीक्षा जून से नवंबर 2023 के दौरान किया गया था। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को नीचे प्रमुखता से दर्शाया गया है–

योजना के अंतर्गत मार्च 2023 तक ग्रामीण परिवारों का प्रतिवेदित आच्छादन बढ़ा–चढ़ाकर दर्शाया गया था। लक्षित ग्रामीण परिवारों का 98.70 प्रतिशत कुल आच्छादन प्रतिवेदित किया गया था, जबकि नवंबर 2025 तक (जल जीवन मिशन–हर घर जल डैशबोर्ड के अनुसार) वास्तविक आच्छादन केवल 95.71 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों का था।

शहरी क्षेत्रों के संबंध में, मार्च 2023 तक नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत लक्षित परिवारों के 94 प्रतिशत आच्छादन की सूचना दी गई, जो मार्च 2020 तक शहरी परिवारों के 100 प्रतिशत आच्छादन के योजना लक्ष्यों की अप्राप्ति को दर्शाता है।

आधारभूत सर्वेक्षणों के अभाव/अपर्याप्तता के कारण हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत परिवारों के लक्ष्य निर्धारण एवं आच्छादन का आकलन वास्तविकता से परे था। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 46,633 ग्रामीण वार्डों के अंतर्गत 11.22 लाख परिवारों का आच्छादन नहीं कर सका, जिनमें जल गुणवत्ता से प्रभावित वार्डों के 8.07 लाख परिवार भी सम्मिलित थे।

योजना के क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग के बीच वार्डों के विभाजन में स्पष्टता का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप इन

कार्यान्वयनकारी विभागों के मध्य समन्वय की कमी पाई गई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 77 जल गुणवत्ता से प्रभावित वार्डों का ग्राम पंचायतों की वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा जल शोधन संयंत्रों के बिना आच्छादन किया गया, जबकि 19 गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों को योजना के अंतर्गत आच्छादित ही नहीं किया गया।

1,000 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए बिना तथा विस्तृत सर्वेक्षण एवं कार्यस्थलों की पहचान किए बिना योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इसके परिणामस्वरूप, उन बसावटों में ₹ 2.77 करोड़ मूल्य की 15 योजनाओं के अंतर्गत फ्लोराइड निष्कासन संयंत्र (FRP) स्थापित किए गए, जहाँ उच्च स्तर के फ्लोराइड से जल गुणवत्ता प्रभावित ही नहीं थी।

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं का प्रारंभ विलंब से किया गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा यद्यपि योजनाओं को वर्ष 2019–20 के अंत तक पूर्ण किया जाना था, तथापि 59 प्रतिशत योजनाएं केवल वर्ष 2019–20 में अथवा 2018–19 के अंतिम चरण में ही प्रारंभ की गईं, जिसके परिणामस्वरूप नल जलापूर्ति सेवाएँ उपलब्ध कराने में विलंब हुआ।

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत किए गए क्रियान्वयन प्रयासों के बावजूद, बिहार में जल गुणवत्ता प्रबंधन अपर्याप्त बना रहा। अनेक जल गुणवत्ता से प्रभावित वार्डों का या तो आच्छादन नहीं किया गया अथवा वहाँ कार्यशील जल शोधन संयंत्र उपलब्ध नहीं थे। जहाँ जल शोधन संयंत्र स्थापित किए गए, वहाँ भी वे प्रायः अकार्यशील अथवा अपर्याप्त क्षमता के पाए गए। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज विभाग एवं शहरी स्थानीय निकायों की योजनाओं में क्लोरीनेटरों का प्रायः अभाव रहा, जिससे कीटाणुशोधन मानकों से समझौता हुआ।

आधारभूत संरचना की कमी, मानवबल की कमी, परीक्षण किटों के अप्रयोग तथा मोबाइल प्रयोगशालाओं के गैर–परिचालन के कारण जल गुणवत्ता परीक्षण अपर्याप्त रहा। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से प्रत्यायन केवल कुछ ही प्रयोगशालाओं तक सीमित रहा। परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में परिवार असुरक्षित पेयजल के संपर्क में आए, जिससे योजना का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

योजना में गुणवत्ता प्रभावित सभी वार्डों का आच्छादन नहीं किया गया था। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत 41 वार्डों में योजना का क्रियान्वयन बिना जल शोधन संयंत्र के किया गया था। नमूना जांचित पांच लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में कार्यों के वास्तविक क्रियान्वयन के बिना ही संवेदकों को ₹ 2.31 करोड़ का भुगतान किया गया था।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु स्थापित संस्थागत प्रावधान एवं दिशानिर्देश, प्रणालीगत कमियों से ग्रस्त थे। क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग राज्य/जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ तथा क्वालिटी मॉनिटर गंभीर मानवबल की कमी से जूझते रहे, जिससे पर्यवेक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निश्चय सॉफ्ट एवं नगरसेवा जैसे निगरानी प्लेटफॉर्म या तो अविश्वसनीय पाए गए अथवा अकार्यशील रहे। इसके अतिरिक्त, लाभुक समिति, जल चौपाल तथा स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से समुदाय सहभागिता एवं जागरूकता कार्यक्रम न्यूनतम रहे, जबकि तृतीय–पक्ष तथा स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण तंत्रों का अत्यंत अल्प उपयोग किया गया।

योजना के वास्तविक–समय निगरानी हेतु आई.ओ.टी. उपकरणों के अधिष्ठापन एवं अनुरक्षण में अमानकीकृत क्रय प्रक्रियाएँ, लागत में असंगतियाँ तथा अधिष्ठापन के पश्चात अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई के कारण कमियाँ पाई गईं। इसके अतिरिक्त, लोक शिकायत निवारण प्रणालियाँ कमजोर रहीं, जहाँ अधिकांश लाभार्थी शिकायत निवारण तंत्र से अनभिज्ञ थे तथा शिकायतों के निस्तारण का समुचित अभिलेखीकरण नहीं किया गया। इन कमियों ने सामूहिक रूप से हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी तथा सेवा प्रदायगी में बाधा उत्पन्न की।

अनुशंसाएं :

राज्य सरकारः

1. यह सुनिश्चित कर सकती है कि विस्तृत सर्वेक्षण तथा घरों/वार्डों की पहचान के माध्यम से हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पात्र लाभूकों को प्रभावी नियोजन एवं शत–प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया जाए।

2. यह सुनिश्चित कर सकती है कि विभागों/क्रियान्वयन एजेंसियों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ किया जाए, ताकि सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु आवश्यक क्लोरीनेटर आदि जैसे अनिवार्य घटकों का प्रावधान सभी जलापूर्ति योजनाओं में किया जाए, भले ही योजना का क्रियान्वयन किसी भी एजेंसी द्वारा किया गया हो।

3. यह सुनिश्चित कर सकती है कि हर घर नल का जल योजना हेतु विभिन्न अनुदान मदों के अंतर्गत आवंटित निधियों का पृथ्क एवं विस्तृत लेखांकन किया जाए, न कि उनका समग्र सात निश्चय योजना के अंतर्गत विलय किया जाए। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभागों के द्वारा इन आवंटनों के विरूद्ध वास्तविक रूप से किए गए व्यय की सतत् निगरानी की जानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रभावी वित्तीय पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

4. योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व उचित सर्वेक्षण सुनिश्चित करते हुए योजना निर्माण एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में वास्तविक क्षेत्रीय प्रगति को प्रतिबिंबित करते हुए एक वास्तविक समय–आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाई जा सकती है।

5. अनुबंध एवं वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकती है। इसके लिए समझौते की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा विलंब, अतिरिक्त भुगतान एवं अपूर्ण कार्यों से बचाव हेतु प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

6. सतत् सेवा सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है। इसके लिए संचालन एवं अनुरक्षण हेतु समय पर धनराशि उपलब्ध कराना, विद्युत् आपूर्ति संबंधी समस्याओं का समाधान करना, उपभोक्ता शुल्क की वसूली को प्रोत्साहित करना तथा कार्यान्वयन एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों के बीच प्रभावी समन्वय को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

7. सभी गुणवत्ता–प्रभावित वार्डों को कार्यशील जल शोधन संयंत्र से आच्छादित किया जाए, ताकि लक्षित परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

8. परीक्षण सुविधाओं में सुधार हेतु प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे को उन्नत कर सकती है और पर्याप्त मानवबल की नियुक्ति कर सकती है। संबंधित विभाग अपने पर्यवेक्षण और

निगरानी तंत्र को सुदृढ़ कर सकते हैं ताकि सभी आवश्यक जल गुणवत्ता परीक्षण किए जा सके।

9. जहाँ भी आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई जाती है, वहाँ समय पर और उपयुक्त सुधारात्मक/नियंत्रणात्मक उपाय किए जाएँ।

10. महत्वपूर्ण रिक्त पदों (राज्य क्वालिटी मॉनिटर, जिला क्वालिटी मॉनिटर, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता) को भरकर संस्थागत एवं क्षेत्र–स्तरीय अनुश्रवण कोषांग को सुदृढ करना सुनिश्चित कर सकती है, साथ ही अनुश्रवण कोषांगों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने तथा विश्वसनीय डाटा रिपोर्टिंग के लिए एम.आई.एस. पोर्टलों को क्रियाशील बनाने का प्रबंध कर सकती है।

11. सामग्री के अनिवार्य तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण, आई.ओ.टी. उपकरणों की मानकीकृत खरीद एवं अनुरक्षण तथा सतर्कता समिति, लाभुक समितियों और जल चौपाल जैसे समुदाय आधारित अनुश्रवण तंत्र के सक्रियकरण के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है।

12 सुलभ शिकायत प्रणाली की स्थापना तथा समुचित अभिलेखीकरण और पर्यवेक्षण के साथ समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित कर सकती है।